

:- आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त कर वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :- नाम ग्राम- सूपका पटवार मण्डल- सूपका

क्र. सं.	पूर्व इन्द्राज			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा
1	2	3	4	5	6	7
01	भंवराराम, मुनाराम रामु राम, रेखाराम पिं पीधाराम का जाट साठ देह खातेदार	518 519 520	1.40 0.04 0.04	भंवराराम, मुनाराम, रामेश्वर, रेखाराम पिं पीधाराम का जाट साठ देह खातेदार	518 519 520	1.40 1.04 1.04
		(03)	1.48		(3)	1.48
		गाम सूपका			गाम सूपका	
		438	2.72		438	2.72
		(01)	2.72		(6)	2.72
		गाम देवराठी			गाम देवराठी	

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक

क्रमांक : 806
प्रतिनिधि पालनार्थ 31/11/20
1. तहसीलदार डीडवाना।

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना
दिनांक :

क्रमांक
प्रतिनिधि पालनार्थ :-
1. पटवारी हल्का को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

तहसीलदार डीडवाना

